आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–55/2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से सुश्री पुजा कुमारी सोनी, मेट्रो गली, रोड नं0–12, जिला–राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री निवास सिंह, पणन पदाधिकारी, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर पणन पदाधिकारी, श्रीनिवास सिंह उपस्थित हैं और शिकायतकर्ता पुजा कुमारी सोनी उपस्थित हैं। आयोग के अभिलेख में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची द्वारा पत्रांक–697 दिनांक–16.11.2023 के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। जिसमें शिकायतकर्ता पुजा कुमारी सोनी ने लिखा है कि उन्हें 20 कि0ग्रा0 चावल एवं 05 कि0ग्रा0 गेहूं अगस्त, 2023 से नवंबर, 2023 की अवधि का प्राप्त हो गया है। आयोग में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि मेरे विशेष आग्रह के बावजूद राशन डीलर ने विलंब से अनाज दिये जाने के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि पणन पदाधिकारी ने डीलर को ऐसा करने का भी निर्देश दिया। पणन पदाधिकारी का कहना है कि इस प्रकरण के कारण सम्बन्धित डीलर श्री गणपति चन्द्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09/2021 के दुकान को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका व्यक्त की है कि इस पूरे मामले को तत्काल रफा–दफा करने के उद्देश्य से श्री गणपति चन्द्रगुप्त के दुकान को निलंबित किया गया है। थोड़े दिनों के बाद उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि PDS संचालक के बारे में यह प्रचारित कराया गया है कि उसकी ऊँची पहुँच है और वो दबंग है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि श्री गणपति चन्द्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09/2021 को यदि भविष्य में निलंबन मुक्त किया जाता है, तो निलंबन मुक्त किये जाने का आधार और इस पूरे प्रक्ररण या कृत कार्रवाई का जाँच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। इस वाद को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है यदि शिकायतकर्ता द्वारा या अन्य किसी माध्यम से इस आशय की जानकारी प्राप्त होती है कि बगैर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन भेजे श्री गणपति चन्द्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09/2021 को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल इस वाद को निष्पादित किया जाता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx129	